



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274773
CG-DL-E-24072026-274773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3872]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3872]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 4042(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, के खंड 20 के अनुसरण में, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयात के लिए निम्नलिखित उर्वरकों के विनिर्देश को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. रोडोफाइट्स से व्युत्पन्न कैल्शियम मैग्नीशियम (चूर्ण)

क्र. सं.	मानदंड	मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	4.0
2.	भार के आधार पर कैल्शियम (CaO के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	32.0
3.	भार के आधार पर मैग्नीशियम (MgO) के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	3.0
4.	भार के आधार पर कैडमियम (Cd के रूप में) प्रतिशत, अधिकतम	0.0025

5.	भार के आधार पर आर्सेनिक (As के रूप में) में प्रतिशत, अधिकतम	0.01
6.	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में) में प्रतिशत, अधिकतम	0.003

[फा. सं. 4-36/2026 उर्वरक विधि-I]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 20th July, 2026

S.O. 4042(E).—In pursuance of clause 20 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specification of the following fertilisers to be imported into India for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

1. Calcium Magnesium derived from Rhodophytes (powder)

Sr.No.	Parameters	Value
(1)	(2)	(3)
1.	Moisture percent by weight maximum	4.0
2.	Calcium (as CaO), percent by weight, minimum	32.0
3.	Magnesium (as MgO), percent by weight, minimum	3.0
5.	Cadmium (as Cd), per cent. by weight, maximum	0.0025
6.	Arsenic (as As) maximum per cent. by weight, maximum	0.01
7.	Lead (as Pb) maximum per cent. by weight, maximum	0.003

[F. No. 4-36/2026 Fert Law (I)]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.